टिप्पणी

4

भारत में ईसीसीई नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वे सभी हितधारकों अर्थात् परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा सरकारों की उत्तरदायित्व हैं। यह भली प्रकार से स्वीकृत हैं कि बच्चों की उत्तरजीविता और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिये क्या योजना बनाई गयी हैं और क्या किया गया है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल और प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है। भारत सरकार ने सभी बच्चों के कल्याण हेतु कई नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की शुरुआत की है तथा उन्हें कार्यान्वित किया है। ये कदम एक अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा बच्चों को उनके विकास तथा अधिगम की प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान सुविधा हेतु मार्ग के रूप में कार्य करते हैं।

इस पाठ में आप बच्चों के समग्र विकास तथा भलाई के लिये अब तक लागू नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्यकता की व्याख्या करते हैं;
- ईसीसीई से सम्बन्धित प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं; और
- ईसीसीई की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन करते हैं।

4.1 ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्कता

सुरक्षित तथा अनुकूल वातावरण में स्वस्थ विकास तथा अधिगम के अवसरों तक सभी बच्चों की पहुँच होनी चाहिए। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोग प्रारम्भिक वर्षों में समस्त

टिप्पणी

आयामों में होने वाले सभी बच्चों के तीव्र विकास के महत्व को महसूस कर रहे हैं। उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा सहभागिता के बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चतता के लिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं। बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई की सुनिश्चितता हेतु भारत सरकार सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है। बच्चों के सम्मान, आवश्यकताओं और अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु भारत कई समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता रहा है। वर्षों से सरकार ने बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये कई नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया है।

आइए, इस दिशा में सरकार की कुछ पहलों का अध्ययन करें।

4.2 नीतियाँ और योजनाएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नींति को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित करेगा कि ''बच्चों को स्वस्थ ढंग तथा स्वतंन्त्रता तथा गरिमा के साथ विकसित होने के लिये अवसर तथा सुविधायें दी जाएँ और बच्चों तथा नवयुवकों का शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से संरक्षण किया जाए।''

प्रारम्भिक वर्षों में छोटे बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेप किये गये हैं।

4.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986
[The National Policy on Education, (NPE) 1986]

अपने सभी नागरिकों के कल्याण हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। नीति छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखती है। नीति मानव संसाधन विकास के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण भी मानती है। यह बालकेन्द्रित तथा खेल आधारित ईसीसीई कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है। यह प्रारम्भिक अवस्था में औपचारिक विधियों के उपयोग तथा 3Rs के परिचय को हतोत्साहित करती है। यह ईसीसीई कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता की अनुशंसा भी करती है।

4.2.2 राष्ट्रीय पोषण नीति, 1986 [National Nutrition Policy, 1993]

बच्चों के समग्र विकास के लिये पर्याप्त और स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। समाज में पोषण के स्तर को सुधारने के उद्देश्य के चलते देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा नीति तैयार की गयी। नीति भारत में बच्चों की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवाओं [Integrated Child Development Services (ICDS)] तथा अन्य समान कार्यक्रमों के विस्तार की जरूरत बताती है। इसका तात्पर्य है कि माताओं को उनके बच्चों की वृद्धि के लिये प्रभावी पोषण पर समुचित सहायता तथा जानकारी दी जाए। नीति राज्य सरकारों से ठोस प्रयासों का आवाहन करती है तथा पोषण मानकों में सुधार के लिये राज्य स्तरीय पोषण परिषद के गठन की सिफारिश करती है।

टिप्पणी

4.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
[The National Policy for Children (NPC), 2013]

भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख कदम के रूप में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति को 1974 में अपनाया। नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिये ''अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति'' घोषित किया। सभी बच्चों के स्वस्थ, विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुन पुष्टि करते हुए एनपीसी, 1974 को 2013 में पुनरीक्षित किया गया। एनपीसी, 2013 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता की निर्विवाद अधिकारों और मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचान करती है। सभी बच्चों के सर्वोत्तम विकास हेतु ईसीसीई की सार्वभौमिक तथा समतामूलक पहुँच प्रदान करने के लिये नीति राज्यों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्देशित भी करती है।

4.2.4 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति, 2013
[National Early Childhood Care and Education Policy, 2013]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति को 2013 में अनुमोदित किया। नीति की रूपरेखा ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा और ईसीसीई के लिये मानदण्डों को भी सम्मिलित करती है।

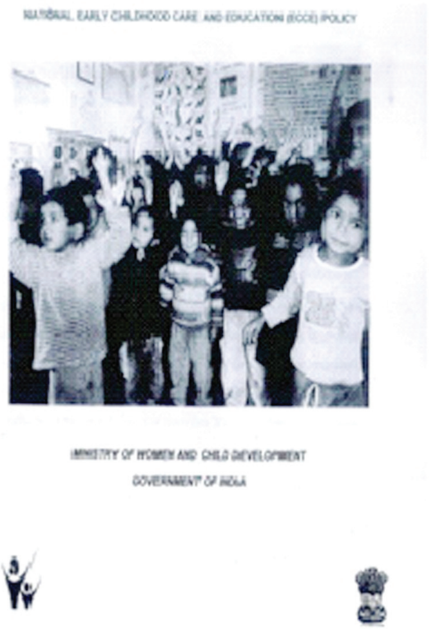

नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। नीति का दृष्टिकोण ''छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की उपलब्धि हेतु नींव तैयार करने तथा पूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्ददायी तथा संदर्भात्मक अवसरों को बढ़ावा देना है।''

समता तथा समावेश के साथ पहुँच, गुणवत्ता में सुधार, क्षमता को मजबूत करना, अनुसन्धान तथा प्रलेखन और समर्थन तथा जागरूकता का निर्माण नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं।

नीति की मान्यता है कि पारिवारिक वातावरण में छोटे बच्चों की सर्वोत्तम देखभाल होती है। अतः देखभाल और संरक्षण की पारिवारिक क्षमताओं को मजबूत करने से बच्चे को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जा सकेगी।

4.2.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन [The National Health Missio (NHM)]

2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आरम्भ हुआ। एनएचएम समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। प्रमुख कार्यक्रम घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य और संचारी तथा गैर संचारी रोग सम्मिलित हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में ईसीसीई (2012-17)

जीवनपर्यन्त विकास की नींव डालने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं ने भी ईसीसीई के महत्व को स्वीकार किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) सार्वजनिक, निजी तथा स्वयंसेवी क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ईसीसीई के क्रमिक सुधारों के क्षेत्रों में ध्यान दिये जाने की जरूरत पर बल देती है। इसका उद्देश्य आईसीडीएस अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा को अतिरिक्त और प्रशिक्षित मानव-संसाधनों के साथ ईसीसीई के रूप पुनः परिभाषित करना था। यह पाँच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये विद्यालयी तत्परता हस्तक्षेपों समेत तीन से छः वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिये आनन्दपूर्ण प्रारम्भिक अधिगम विधियों के साथ विकासोचित पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रवेश का आवाहन करती है।

Source:https://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/document-reports/

4.2.6 भारत नवजात शिशु कार्य योजना, (आईएनएपी) [India Newborn Action Plan (INAP), 2014]

देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव को कम करने के लिये भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी) 2014 में आरम्भ हुई। यह हस्तक्षेपों के छः स्तम्भों को परिभाषित करती है :

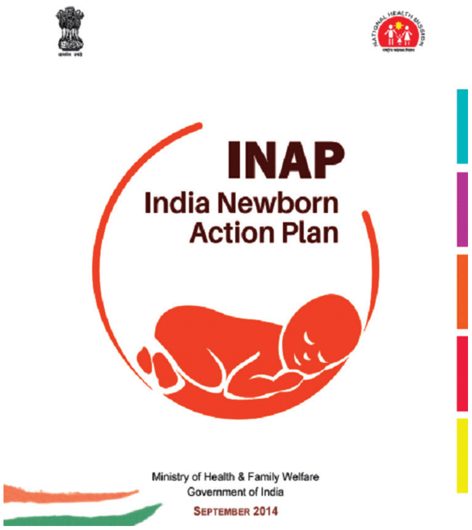

- पूर्व-गर्भाधान तथा पूर्व-प्रसव देखभाल
- प्रसव और प्रसव के दौरान देखभाल
- नवजात शिशु की तत्काल देखभाल
- स्वस्थ नवजात शिशु की देखभाल
- छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल
- उत्तरजीविता से परे नवजात शिशु की देखभाल

सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी), 2030
[Sustainable Development Goals (SDGs), 2030)

2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाये गये सतत विकास के लिये एजेण्डा, 2030, वर्तमान तथा भविष्य में लोगों तथा ग्रह की शान्ति और समृद्धि के लिये एक साझा खाका (ब्लूप्रिंट) प्रदान करता है। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं जो कि एक वैश्विक साझेदारी के तहत विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा तत्काल अमल में लाये जाने हैं।

सतत विकास लक्ष्य 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिये जीवनपर्यन्त अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना।

भारत सरकार द्वारा अपनाये गये सतत विकास लक्ष्य, 2030 के लक्ष्य 4.2 स्पष्ट करता है कि 2030 तक सभी बालिकाओं तथा बालकों की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए जिससे कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार हों।

Source : sustainabledevelopment.un.org

4.2.7 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Actio for Children (NPAC), 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, वर्ष 2005 में स्वीकृत कार्य योजना की जगह लेती है। एनपीएसी, 2016 'अन्तिम बच्चा पहले' तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है। यह उन बच्चों को प्रथम स्थान देने के लिये प्रतिबद्ध है जो कि लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक या भौगोलिक प्रतिरोध के कारण सर्वाधिक असुरक्षित हैं साथ ही अन्य असुरक्षित बच्चों को भी जैसे कि गली वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, सेक्स कर्मियों के बच्चे तथा वे जो एचआईवी/एड्स या अन्य रोगों से ग्रस्त हैं।

टिप्पणी

एनपीएसी, 2016, सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। यह बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता तथा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को एक रूपरेखा प्रदान करती है।

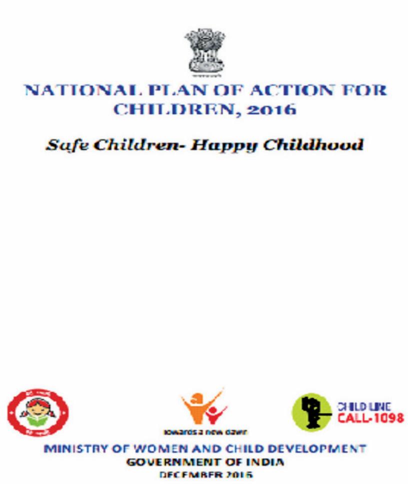

यह कार्यक्रम बच्चों की सहायता तथा उनकी सम्पूर्ण उत्तरजीविता, कल्याण, संरक्षण तथा विकास की सुनिश्चितता हेतु समुदाय तथा परिवारों को मजबूत करने के महत्व को संज्ञान में लेता है।

4.2.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 [National Health Policy (NHP), 2017]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 तथा 2002 में तैयार की गयी। नवीनतम एनएचपी का आरम्भ 2017 में हुआ। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है। यह नीति तकनीकी तक पहुँच, मानव संसाधनों के विकास करने, चिकित्सकीय बहुलवाद प्रोत्साहन, ज्ञान आधार निर्मित करने, बेहतर वित्तीय संरक्षण रणनीतियाँ विकसित करने, नियमन तथा स्वास्थ्य सुनिश्चितता का प्रयास करती है।

सभी आयु वर्गों पर सभी के लिये स्वास्थ्य के उच्चतम सम्भव स्तर तथा कल्याण की प्राप्ति तथा अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच, नीति के उद्देश्य हैं।

4.2.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 [National Nutrition Mission (PSHAN Abhiyan), 2018]

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए मार्च 2018 में राजस्थान के झुँझनू में पोषण अभियान आरम्भ किया गया। इसका लक्ष्य है :

- विभिन्न पोषण सम्बन्धी योजनाओं के सम्मिलन को सुनिश्चित करके अल्पपोषण तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के स्तर को कम करना
- अल्प-विकास, अल्प-पोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं के बीच) तथा निम्न जन्म दर की रोकथाम।

समग्र विकास तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिये पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।

पाठगत प्रश्न 4.1

रिक्त स्थान भरिए–

(अ) राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 .... तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है।

(ब) पोषण अभियान का उद्देश्य .... तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(स) देश में भारत नवजात शिशु कार्य योजना का उद्देश्य रोके जा सकने योग्य .... तथा .... को कम करना है।

(द) राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 ने बच्चों को राष्ट्र के लिये .... घोषित किया।

(ई) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास ....तथा........... क्षमता की प्राप्ति का प्रयास करती है।

4.3 कार्यक्रम तथा योजनाएँ

माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य तथा सामान्य हितों की चिन्ता ने सरकार को इस जरूरत को पूरा करने के लिये कार्यक्रमों तथा योजनाओं को समय-समय पर आरम्भ करने के लिये प्रेरित किया है।

4.3.1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), 1975 [Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme, 1975]

1975 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) आरम्भ की।

टिप्पणी

यह एक अनूठा तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था और देखभाल के लिये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह 0–6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल करता है। यह गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतों को भी पूरी करता है। इस योजना में छः सेवायें शामिल हैं जो हैं–

(i) पूरक पोषण

(ii) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा

(iii) पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

(iv) टीकाकरण

(v) स्वास्थ्य जाँच तथा

(vi) निर्देशपरक सेवा

इस योजना के उद्देश्य हैं–

- 0–6 से आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु-दर, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के मध्य नीति तथा क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना, तथा
- समुचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखरेख करने की माता की क्षमता में वृद्धि करना।

4.3.2 मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस), 1995 [Mid Day Meal Scheme (MDMS), 1995]

सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा केन्द्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर म

सुधार करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य नामांकन, धारण तथा उपस्थिति में वृद्धि के साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। अक्टूबर, 2007 में योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् कक्षा छः से आठ तक के बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना
Mid-day Meal Scheme

टिप्पणी

4.3.3 जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) [Janani Surakha Yojana (JSY)]

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) 12 अप्रैल 2005 को आरम्भ की गयी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन द्वारा मातृ तथा नवजात मृत्यु को कम करना है।

4.3.4 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) [Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)]

भारत सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशुओ को पूर्णत: नि:शुल्क तथा कैशलैस सेवायें प्रदान करने के लिये 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरम्भ किया।

4.3.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) [Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक नवचारिक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का आरम्भ किया। यह बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेपी सेवाओं की परिकल्पना करता है जो कि प्रारम्भिक पहचान का एक व्यवस्थित उपागम है तथा देखभाल, सहायता तथा उपचार से सम्बन्धित है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सम्भावित 30 स्वास्थ्य स्थितियों के समुच्चय की प्रारम्भिक खोज तथा प्रबंधन सम्मिलित है। ये स्थितियाँ मुख्य रूप से हैं : जन्म के समय दोष, बच्चों के रोग, कमियों से सम्बन्धित परिस्थितियाँ तथा दिव्यांगता सहित विकासात्मक विलम्ब या 4डी (Defects at birth, Diseases in children, Deficiency conditions and Developmental delays includig Disabilities or the 4Ds)। बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का उद्देश्य दिव्यांगता की सीमा को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा सभी व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के योग्य बनाना भी है।

4.3.6 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है।

4.3.7 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA), 2018]

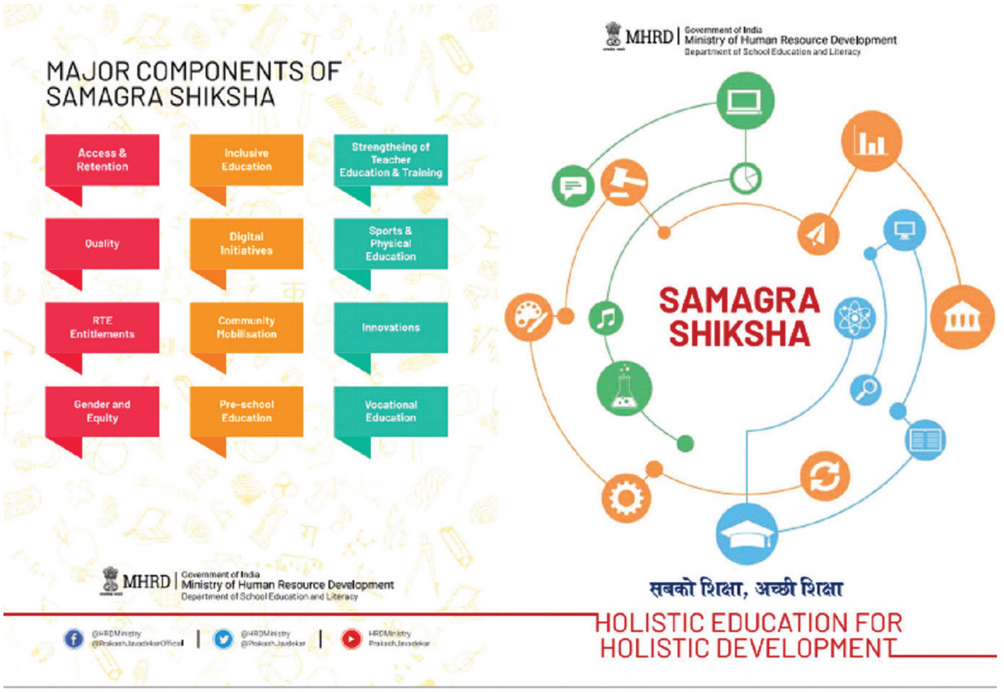

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु भारत सरकार ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आरम्भ किया। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सतत के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करता है तथा मौजूदा 'पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम' को एक नाजुक घटक के रूप में मान्यता देता है। योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई की सुविधाओं समेत सुरक्षित तथा संरक्षित बुनियादी ढाँचे पर बल देती है। यह विकासोचित पाठ्यचर्या, अधिगम गतिविधियों, शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों तथा आकलन तथा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक सहभागिता तथा वचनबद्धता पर भी जोर देती है।

टिप्पणी

पढ़े भारत बढ़े भारत

पढ़े भारत बढ़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रारम्भिक स्तरों, विशेष रूप से कक्षा एक तथा दो में प्रारम्भिक भाषा और साक्षरता तथा प्रारम्भिक संख्यात्मकता के आधारभूत अधिगम में सुधार करने तथा बढ़ावा देने के लिये 2014 में आरम्भ की गयी।

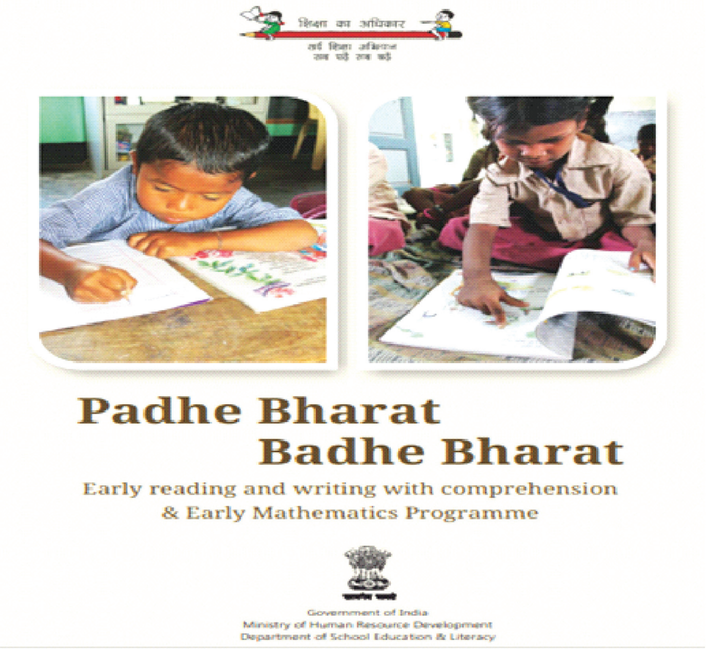

4.3.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना [Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers]

संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के मध्य कामकाजी माताओं के बच्चे के लिये गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने तथा शिशुगृह की स्थापना हेतु सहायता करने के लिये भारत सरकार द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का आरम्भ किया गया। यह छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये देखभाल तथा शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

4.3.9 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act 2017]

भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश तैयार किये हैं। अधिनियम के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा अनिवार्य है।

यह छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन तथा इन क्रेच की गुणवत्ता के मानकीकरण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकास तथा देखभाल की सुनिश्चितता हेतु इसमें स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता तथा अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में व्याख्या की गयी है। ये दिशा-निर्देश प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं और छोटे बच्चों और उनके माता-पिता के सर्वोत्तम हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कुछ मानकों को ऐसे समूह में वर्गीकृत किया गया है जिनमें बदलाव संभव नहीं है जबकि कुछ वरीयतायुक्त मानक ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार समीक्षा की जा सकती है और बदलाव के बाद अपनाया जा सकता है।

4.4 पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ [Curriculum Frameworks]

शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के एक निश्चित स्तर तथा क्षेत्र के लिये पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, शिक्षणशास्त्र तथा प्रतिफल के विषय में मार्गदर्शन हेतु कुछ सरकारी निकायों को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रारूपण तथा निर्माण हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा को वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु एक निश्चित स्तर पर बच्चों को दिये जाने वाले समस्त अधिगम अनुभवों को निर्देशित करने के लिये व्यापक तथा संगठित दिशा-निर्देशों अथवा मानदण्डों के समुच्चय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आकलन प्रक्रिया सहित बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

आइए, ईसीसीई से सम्बन्धित पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के बारे में अध्ययन करें।

4.4.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 [National Curriculum Framework (NCF), 2005]

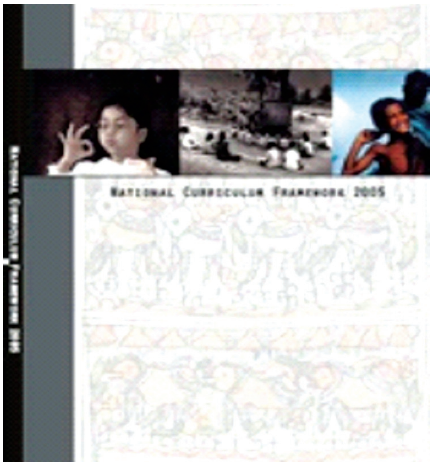

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है जो कि भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिये पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण अभ्यासों के लिये रूपरेखा प्रदान करती है। ईसीसीई के सन्दर्भ में रूपरेखा छोटे बच्चों को उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सहित समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने का समर्थ करती है। यह ईसीसीई को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा की तैयारी के रूप में स्वीकार करती है और ईसीसीई में खेल आधारित विकासोचित पाठ्यचर्या का समर्थन करती है।

टिप्पणी

4.4.2 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 [National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013]

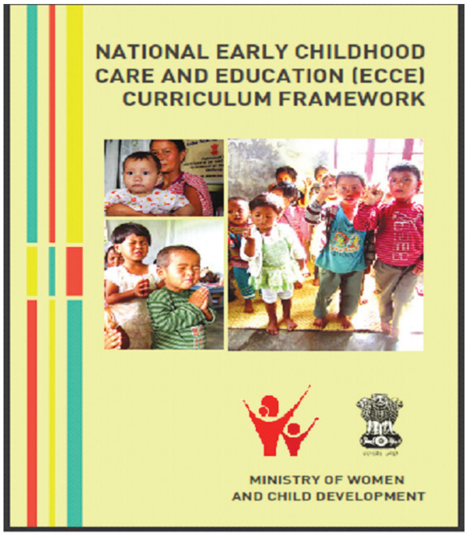

राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है। यह बच्चों के समग्र विकास तथा अधिगम पर बल देती है। इसका उद्देश्य अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा बच्चों की विकासात्मक तथा सन्दर्भात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता आधारित इनपुट प्रदान करना है। ईसीसीई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में रूपरेखा, माता-पिता, परिवार तथा समुदाय की सहभागिता के महत्व को स्वीकार करती है।

पाठगत प्रश्न 4.2

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(अ) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

(ब) समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा को समाहित करता है।

(स) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

(द) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) भारत सरकार द्वारा 1979 में आरम्भ की गयी।

(ई) क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्री न्यूनतम दिशा-निर्देश छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु तैयार किये गये थे।

टिप्पणी

4.5 ईसीसीई के विभिन्न सेवा प्रदाता

भारत में सरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा ईसीसीई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए, इनके बारे में अध्ययन करें।

4.5.1 सरकारी क्षेत्र

जैसा कि पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि सभी छोटे बच्चों को देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिगम अनुभव तथा शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 1975 में आरम्भ हुई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) ईसीसीई प्रदान करने के लिये अधिदेशित विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इस पाठ के पिछले भाग में आपने आईसीडीएस की सेवाओं और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया है। आँगनवाड़ी नामक केन्द्रों के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु उद्दीपित तथा समृद्ध वातावरण प्रदान करना है।

4.5.2 निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र भी ईसीसीई के सेवा प्रदाताओं में से है। इसमें स्टैंड-एलोन पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, स्वस्वामित्व वाले पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा फ्रेन्चाइजी शामिल हैं। देश में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्यालयों की पहुँच तेजी से बढ़ रही है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होती है जिसे विनियमित किये जाने की जरूरत है।

4.5.3 गैरसरकारी क्षेत्र

ईसीसीई सेवाएं स्वयंसेवी तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदान की जा रही हैं। ये बड़े पैमाने पर न्यासों, सोसाइटी, धार्मिक समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं तथा सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेन्सियों द्वारा चलायी जाती हैं। इनकी पहुँच तथा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार भिन्न होते हैं।

इन सभी सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राज्य के सेवा प्रतिपादन मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप कार्य करें।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- देश में सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किये

गये। यह हस्तक्षेप प्रारम्भिक वर्षो में सभी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल तथा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और ईसीसीई को देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप देखती है।
- देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 तैयार की गयी।
- राष्ट्रीय बाल नीति (एनपीसी), 2013 सभी बच्चों के स्वस्थ विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। यह उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को प्रत्येक बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में पहचान करती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013, छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्दपूर्ण तथा नींव डालने तथा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति हेतु सन्दर्भात्मक अवसरों के प्रोत्साहन द्वारा नीति की दृष्टि छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की प्राप्ति करने की है।
- बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, (एनपीएसी) सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- 2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 आरम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हों।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है।
- देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृतप्रसव को कम करने के लिये 2014 में भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी), 2014 आरम्भ हुई।
- 1975 में आरम्भ एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) 0-6 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास हेतु एक अनूठा

कार्यक्रम है। योजना अपनी सेवाओं के रूप में पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा निर्देशपरक सेवा को शामिल करती है।

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों के साथ अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण है।
- सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा (एआईई) केन्द्रों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का लक्ष्य है।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान का आरम्भ 2018 में हुआ। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है।
- छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005 छोटे बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने पर बल देती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को उनके समग्र विकास तथा अधिगम के लिये समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है।
- सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाता हैं। इन सभी ईसीसीई सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है।

पाठान्त प्रश्न

1. देश में ईसीसीई से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सूची बनाइए।

2. पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 पर टिप्पणी कीजिए।

3. ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

(अ) अन्तिम बच्चा पहले

(ब) 2022

(स) नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव

(द) अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति

(ई) समग्र विकास, सक्रिय अधिगम

4.2

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य

संदर्भ

- Ministry of Health & Family Welfare. (2014). *India Newborn Action Plan, 2014*. Retrieved from www.newbornwhocc.org/INAP_Final.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. (2011). *Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani- shishu-suraksha-karyakaram-jssk_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2005). *Janani Suraksha Yojana (JSY)*.Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani-suraksha-yojana-jsy-_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2017). *National Health Policy, 2017*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national_health_policy_2017.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. *Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)*. Retrieved from https://rbsk.gov.in
- Ministry of Health & Family Welfare. *The National Health Mission (NHM)*. Retrieved from https://mohfw.gov.in

- Ministry of Human Resource Development. (1995). *Mid Day Meal Scheme, 1995.* Retrieved from http://mdm.nic.in/mdm_website/
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Padhe Bharat Badhe Bharat.* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Padhe-Bharat-Badhe-Bharat.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan, 2018.* Retrieved from http://samagra.mhrd.gov.in/early_childhood.html
- Ministry of Human Resource Development (1986). *The National Policy on Education, 1986.* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2012). 12th *Five Year Plan (2012-17).* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/document-reports/XIIFYP_SocialSector.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1975). Integrated *Child Development Services (ICDS) Scheme.* Retrieved from https:/ /icds-wcd.nic.in/icds.aspx
- Ministry of Women and Child Development. (2019). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009.* Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated- child-protection-scheme-ICPS
- Ministry of Women and Child Development. (2017). *National Minimum Guidelines for Setting up and Running Crèches under Maternity Benefit Act, 2017.* New Delhi. Retrieved from https://wcd.nic.in/act/national-minimum- guidelines-setting-and-running-creches-under-maternity-benefit-act-2017
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013.* Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013.* Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1993). *National Nutrition Policy, 1993.* Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/nnp_0.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children, 2016.* Retrieved from https://wcd.nic.in

- Ministry of Women and Child Development. (2018). *National Nutrition Mission (POSHAN Abhiyan), 2018*. Retrieved from https://www.india.gov.in/spotlight/poshan-abhiyaan-pms-overarching-scheme-holistic-nourishment
- Ministry of Women and Child Development. *Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers*. Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/RajivGandhiCrecheScheme.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *The National Policy for Children, 2013*. Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/sites/default/files/npcenglish08072013_0.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. Retrieved from http://www.ncert. nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf